

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 979] No. 979] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 7, 2017/अग्रहायण 16, 1939

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 7, 2017/ AGRAHAYANA 16, 1939

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2017

सा.का.िन. 1483(अ). — केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए कितपय प्रारूप नियम मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) तारीख 29 अगस्त, 2017 में भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.िन. 1118(अ), तारीख 29 अगस्त, 2017 की अधिसूचना द्वारा उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को प्रकाशित करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, से तीस दिन की अवधि से पूर्व उनसे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों के आक्षेप और सुझाव आमंत्रित आमंत्रित करते हुए प्रकाशित की गई थीं;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को 29 अगस्त, 2017 को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और उक्त प्रारूप नियमों की बाबत जनता से आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए थे ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मोटर यान (सत्रहवाँ संशोधन) नियम, 2017 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 नियम 25 में,-
 - (क) भारत सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय संख्या सा.का.िन. 291(अ), तारीख 24 अप्रैल, 2014 की अधिसूचना के तहत यथा अन्तःस्थापित उप-नियम (7) में, "(7) एम I प्रवर्ग के मोटर यान" के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा और 24 अप्रैल, 2014 से प्रवृत्त रखे जाने के लिए समझा माना जाएगा, अर्थात् :-

"(8) एम1 प्रवर्ग के मोटर यान":

7086 GI/2017 (1)

(ख) इस प्रकार संशोधित उप-नियम 8 के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-"(9) 1 जुलाई, 2019 को और पश्चात् विनिर्मित एम1 प्रवर्ग के मोटरयान, अतिरिक्त सुरक्षा विशिष्टताएं और समय-समय संशोधित एआईएस-2017 में अनुबद्ध इसकी अपेक्षाएं पालन करेगा ।"।

[फा. सं. आर.टी 11028/16/2016-एमवीएल]

अभय दामले, संयुक्त सचिव

स्पष्टीकारक ज्ञापन

अधिसूचना संख्या सा.का.िन. 99(अ), तारीख 19 फरवरी, 2014 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i), तारीख 19 फरवरी, 2014 में प्रकाशित मोटरयान (पहला संशोधन) नियम, 2014 द्वारा केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 का नियम 125 का उप-नियम (7) अन्तःस्थापित किया गया था। तथापि, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i), तारीख 24 अप्रैल, 2014 में प्रकाशित केन्द्रीय मोटरयान (5वां संशोधन) नियम, 2014 द्वारा अधिसूचना संख्या 291(अ), तारीख 24 अप्रैल, 2014 द्वारा, नियम 125 के उप-नियम (7) के रूप में अनावधनतापूर्वक अन्तःस्थापित किया गया था। यह प्रमाणित किया जाता है कि 24 अप्रैल, 2014 से नियम 125 के उप-नियम (8) के प्रवर्तन की तारीख का उल्लेख करने से किसी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।

टिप्पण: मूल अधिसूचना संख्या सा.का.िन. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्या सा.का.िन. 1461(अ), तारीख 27 नवंबर, 2017 द्वारा अंतिम बार संशोधित किया गया।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 7th December, 2017

G.S.R. 1483(E).—Whereas the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, were published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), vide notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R. 1118(E), dated the 29th August, 2017 in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) inviting objections and suggestions from affected persons before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to public;

Whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 29th August, 2017;

And whereas, no objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely: —

- 1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Seventeenth Amendment) Rules, 2017.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989, in rule 125,-
- (a) in sub-rule (7), as inserted *vide* notification of the Government of India, Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R.291(E), dated the 24th April, 2014, for "(7) Motor vehicles of category M1", the following shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 24th April, 2014 namely:-
 - "(8) Motor vehicles of category M1";

(b) after sub-rule 8 as so amended, the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(9) Motor vehicles of category M1, manufactured on and after the 1st day of July, 2019, shall comply with the additional safety features and its requirements stipulated in AIS-145 -2017, as amended from time to time."

[F. No. RT-11028/16/2016-MVL]
ABHAY DAMLE, Jt. Secy.

Explanatory Memorandum

Sub-rule (7) of rule 125 of the Central Motor Vehicle Rules, 1989 was inserted *vide* the Motor vehicles (1st Amendment) Rules, 2014 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, sub-section (i), dated the 19th February, 2014, *vide* notification number G.S.R.99(E), dated the 19th February,2014. However, *vide* the Central Motor Vehicles (5th Amendment) Rules, 2014, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, sub-section (i), dated the 24th April, 2014, *vide* notification number G.S.R. 291(E) dated the 24th April, 2014, sub-rule (8) of rule 125 had been inadvertently inserted as sub-rule (7) of rule 125. It is certified that mentioning the date of operation of the sub-rule (8) of rule 125 with effect from the 24th April, 2014 does not bring adverse effect to the interest of any person.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended *vide* notification number G.S.R. 1461(E), dated 27.11.2017.